न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 55/2022 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री अंकित खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता एफबीओ मैसर्सः— जी. आर एण्ड कम्पनी, सोमनाथ नगर दौसा जिला दौसा।
2. श्री गजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल पुत्र जगदीश नारायण गुप्ता एफबीओ मैसर्सः— खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज, राजा कॉलोनी, सुन्दरदास मार्ग दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 08.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग2(क) के क्रमांक 53 पर अंकितानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 2714 दिनांक 01.09.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.09.2022 को 02:39 PM पर मैसर्सः—जी. आर एण्ड कम्पनी, सोमनाथ नगर दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री अंकित खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता को अपना परिचय देकर परिचय पूछने पर श्री अंकित खण्डेलवाल ने स्वयं को मैसर्सः— जी. आर एण्ड कम्पनी, सोमनाथ नगर दौसा जिला दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री अंकित खण्डेलवाल की उपस्थिति में जी. आर एण्ड कम्पनी का निरीक्षण करने पर पाया कि प्लास्टिक के कट्टे में गुड, तेल, चीनी, दाले, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ मैदा ओम ब्राण्ड (Maida Om Brand) आम जनता को विक्रय करने हेतु रखी हुई थी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री अंकित खण्डेलवाल को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये श्री अंकित खण्डेलवाल व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री अंकित खण्डेलवाल को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह खाद्य पदार्थ मैदा (Maida Om Brand) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु विक्रय किया जा रहा है। प्लास्टिक के कट्टे में से 500—500 ग्राम के 50 पैकिट के कट्टे को नियमानुसार खोल कर उसमे से नियमानुसार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

500–500 ग्राम के चार पैकिट साफ प्रिन्टेड मैदा (Maida Om Brand) का चयन कर इलेक्ट्रोनिक मापक मशीन से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री अंकित खण्डेलवाल को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 2 किलोग्राम मैदा ओम ब्राण्ड के 72/– अक्षरे बहत्तर रूपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री अंकित खण्डेलवाल विक्रेता मैसर्स जी. आर एण्ड कम्पनी, सोमनाथ नगर दौसा ने मैसर्स खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज राजा कॉलोनी, सुन्दरदास मार्ग दौसा का वारन्टी बिल नं./इनवॉयस नं. 13770 दिनांक 24.09.2022 की छायाप्रति प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज राजा कॉलोनी, सुन्दरदास मार्ग दौसा से क्रय किया जाना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500–500 ग्राम चार नग कुल 2 किलोग्राम मैदा (Maida Om Brand) को श्री अंकित खण्डेलवाल एवं गवाहान को दिखाकर उक्त खाद्य पदार्थ को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक डिब्बे को खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी–3065 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर श्री अंकित खण्डेलवाल तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये तथा लेबलों को गोंद से चिपकाकर चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी–3065 को चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री अंकित खण्डेलवाल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 27.09.2022 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाये।

Web Copy Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./708/एक्ट/2022/708 दिनांक 4.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि विक्रेता अंकित खण्डेलवाल से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया मैदा ओम ब्राण्ड **(Maida Om Brand)** एफएसएसए की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप **(MisBranded)** एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विनियम **2.5(10)(b) of Labelling & Regulation 2020** के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का पाया गया है। जो कि एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)(V) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 52 व 58 में वर्णित है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./708/एक्ट/2022/708 दिनांक 4.10.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मैदा ओम ब्राण्ड **(Maida Om Brand)** नमूने के लेबल पर **Use by Date** अंकित नहीं होने के कारण नमूना एफएसएसए की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप **(MisBranded)** एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विनियम **2.5(10)(b) of Labelling & Regulation 2020** के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मैदा ओम ब्राण्ड **(Maida Om Brand)** का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)(V) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 52 व 58 में निर्धारित किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 52 व 58 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि दिनांक 26.09.2022 को हमारी फर्म जी. आर एण्ड कम्पनी से ओम ब्राण्ड मैदा का सैम्पल जांच हेतु लिया गया था। जांच में सैम्पल के लेबल पर **Use by Date** नहीं लिखा होने के कारण वह मिसब्राण्ड पाया गया है। हमारी फर्म ने यह उत्पाद खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज से खरीदा था। जो कि बिल द्वारा खरीदा गया था। जिसकी प्रति भी हमारे द्वारा संलग्न कर दी गई है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रकरण में दोष मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि दिनांक 26.09.2022 को फर्म जी. आर एण्ड कम्पनी सोमनाथ नगर दौसा से हमारे उत्पाद ओम ब्राण्ड मैदा का 500 ग्राम का नमूना जांच के लिये लिया गया था। जांच में **Use by Date** नहीं लिखा होने के कारण यह नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जिसे हमने तुरन्त सुधार कर लिया है। आगे से ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा संशोधित किये गये लेबल को जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करते हुये प्रकरण से दोष मुक्त करने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./708/एक्ट/2022/708 दिनांक 4.10.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मैदा

प्रकरण संख्या : 55 / 2022 **FSSA**

ओम ब्राण्ड **(Maida Om Brand)** का नमूना एफएसएसए की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप **(MisBranded)** एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विनियम **2.5(10)(b) of Labelling & Regulation 2020** के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेन **(Contravene)** स्तर का पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ मैदा ओम ब्राण्ड **(Maida Om Brand)** मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री अंकित खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– जी. आर एण्ड कम्पनी, सोमनाथ नगर दौसा जिला दौसा पर 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री गजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल पुत्र जगदीश नारायण गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज, राजा कॉलोनी, सुन्दरदास मार्ग दौसा पर 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 08.02.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA/** दिनांकः– 08.02.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अंकित खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेश कुमार गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– जी. आर एण्ड कम्पनी, सोमनाथ नगर दौसा जिला दौसा।
4. श्री गजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल पुत्र जगदीश नारायण गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– खण्डेलवाल इण्डस्ट्रीज, राजा कॉलोनी, सुन्दरदास मार्ग दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा